राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2017

अधिसूचना संख्या सं. एनएचबी.एचएफसी.सीजी-डीआर.1/एमडीएंडसीईओ/2016

राष्ट्रीय आवास बैंक इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में इसके लाभ के लिए, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक है और एतद्द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए एवं 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश विनिर्दिष्ट करता है।

1. निर्देशों का लघु शीर्षक, प्रारंभ

(i) इन निर्देशों को **"आवास वित्त कंपनी – कापोरेट अभिशासन (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016"** के तौर पर जाना जाएगा।

(ii) ये निर्देश तत्काल प्रभाव से से लागू होंगे।

2. निर्देशों का विस्तार

अपनी अंतिम लेखा परीक्षित परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, 50 करोड़ एवं उससे अधिक की आस्तियों के आकार के साथ सार्वजनिक जमा न स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार / धारण करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू होगा, जिसे इसके बाद प्रयोज्य आवास वित्त कंपनियां कहा जाएगा।

3. बोर्ड की समितियों का गठन

I. लेखापरीक्षा समिति

(i) सभी प्रयोज्य एचएफसी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल से कम तीन से कम सदस्य हो।

स्पष्टीकरण I: आवास वित्त कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षा समिति होगी।

स्पष्टीकरण II: इस अनुच्छेद के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति के पास भी वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि एचएफसी द्वारा सामना की जाने वाली प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान करने के लिए दो वर्षों मे कम से कम एक बार आंतरिक प्रणालियों व प्रक्रियाओं की एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा किया गया है।

II. नामांकन समिति

सभी प्रयोज्य एचएफसी को प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों का " उचित और पर्याप्त" स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति का गठन करना होगा।

स्पष्टीकरण I: इस अनुच्छेद के तहत गठित नामांकन समिति के पास वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में विनिर्दिष्ट है।

III. जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सभी प्रयोज्य एचएफसी को आस्ति देयता प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा।

4. उचित और पर्याप्त मापदंड

सभी प्रयोज्य एचएफसी को

I. यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ, निदेशकों के नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर उनके उचित और पर्याप्त मापदंडों का पता लगाने के लिए, एक नीति बनाई गई है। उचित और पर्याप्त मापदंड नीति के संबंध में दिशानिर्देश अनुलग्नक1- में विनिर्दिष्ट किया गया है;

II. निदेशको से संबंधित अतिरिक्त सूचना के लिए निदेशकों से घोषण पत्र तथा वचन पत्र लिया जाए। यह घोषणा पत्र तथा वचन पत्र अनुलग्नक-2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होगा;

III. निदेशकों से हस्ताक्षरित प्रतीज्ञापत्र दस्तावेज प्राप्त किया जाए जो अनुलग्नक-3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार हो;

IV. निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट तथा निदेशकों के चयन में उचित और पर्याप्त मापदंड का अनुपालन किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र एचएफसी के प्रबंध निदेश से राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक समाप्त तिमाही के 15 दिनों के अंदर विवरणियां राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को प्राप्त हो जानी चाहिए। एचएफसी द्वारा 31 मार्च को समाप्त तिमाही से संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

बशर्ते कि राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि यह जन साधारण के हित में और पर्याप्त हो तो, किसी भी आवास वित्त कंपनी का उसकी आस्ति आकार को ध्यान में रखे बिना, ऐसी आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का उचित और पर्याप्त मापदंड मानदंड की जांच करने का अधिकार रखता है।

5. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता

I. सभी प्रयोज्य एचएफसी को नियमित अंतराल में, जैसा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, निम्नलिखित को निदेशक मंडल के समक्ष प्रसतुत करना होगा:

(i) एचएफसी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीति के संबंध में और प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन नीति को स्थापित करने में हुई प्रगति;

(ii) कार्पोरेट अभिशासन मानकों के अनुरूप जैसे विभिन्न समितियों का गठन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठक की आवधिकता तथा कार्यक्षेत्र व्याप्ति (कवरेज़) का अनुपालन और कार्यों की समीक्षा की पुष्टि आदि।

II. सभी प्रयोज्य एचएफसी को 31 मार्च, 2017 से अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को भी प्रकट करना होगा:

(i) अन्य वित्तीय सेक्टर के विनियामकों से प्राप्त किसी भी नाम का पंजीकरण/लाइसेंस/ प्राधिकृत;

(ii) क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन;

(iii) किसी विनियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो तो;

(iv) संयुक्त उपक्रम तथा विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में सूचना अर्थात्, क्षेत्र, संचालन देश और संयुक्त उद्यम सहयोगी, और

(v) आस्ति-देयता प्रोफाइल, एनपीए और एनपीए का परिचालन, सभी तुलन पत्रेतर एक्सपोजर का ब्योरा, भू संपदा में एक्सपोजर, पूंजी बाजार में एक्सपोजर, शिकायतों का प्रकटीकरण प्रतिभूतिकरण/कार्यभार लेनदेन और अनुबंध-4 में विनिर्दिष्ट अन्य प्रकटीकरण

6. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

इन निर्देशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निर्देशों, जो उस समय लागू हों, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरुद्ध होंगे।

7. सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म के भागीदारों का आवर्तन

सभी प्रयोज्य एचएफसी लेखा परीक्षा का संचालन करने वाले चार्टर्स एकाउंटेंट फर्म के साझेदार/रों का प्रत्येक तीन वर्षों नियमित आतर्वन करेंगी ताकि वही साझेदार कंपनी का लगातार तीन वर्षों की अवधि से अधिक समय तक लेखा परीक्षा न करे। हालांकि, यदि एचएफसी चाहे तो, आवर्तित साझेदार को तीन वर्ष

के अंतराल के बाद एचएफसी का लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र हो जायेंगे। एचएफसी लेखा परीक्षकों की फर्म की नियुक्ति पत्र में समुचित निबंधन को समाविष्ट करेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करना

सभी प्रयोज्य एचएफसी अपने उक्त दिशानिर्देश में अंतर्निहित भावना की अवहेलना का परित्याग किए बिना दिशानिर्देश के दायरे को बढाने के लिए अपने निदेश मंडल के अनुमोदन से कार्पोरेट अभिशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश बनाएंगे। बनाये और अपने विभिन्न स्टेकधारकों के सूचनार्थ इसे अपने कंपनी के वेबसाइट, यदि कोई हो तो, में प्रदर्शित करेंगे।

9. छूट

राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी/कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

10. स्पष्टीकरण

इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अनुलग्नक-1

आवास वित्त कंपनियों के निदेशकों के लिए 'उचित और पर्याप्त' मापदंड

किसी वित्तीय संस्थान के लिए योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा इत्यादि के माध्यम से पद हेतु उपुयक्तता का पता लगाने के लिए निदेशकों के निपुणता के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तावित है कि आवास वित्त कंपिनयों के विषय में भी यथोचित परिवर्तनों के साथ उसी दिशानिर्देश का पालन किया जाय। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक एचएफसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व निदेशकों पर उचित जांच का निष्पादन करता है, अत: यह आवश्यक है कि आवास वित्त कंपनियां सतत आधार पर एक आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया स्थापित करे। इसके अतिरिक्त, निदेशकों की नियुक्ति के समय उचित जांच की प्रक्रिया को कारगर बनाने एवं एकरुपता लाने के उद्देश्य से आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नीचे उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और इससे पूर्व कि व्यक्तियों की बोर्डों में नियुक्ति की गई हो उनके द्वारा न्यूनतम मानदंड को पूरा किया गया है:

a) एचएफसी को योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा एवं अन्य उचित एवं उपयुक्त मानदंड के आधार पर बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्ति / नियुक्ति जारी रखने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उचित जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। एचएफसी को इस प्रयोजनार्थ अनुलग्नक-2 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों से आवश्यक सूचना एवं घोषण प्राप्त करनी चाहिए।
b) आवास वित्त कंपनियों को नियुक्ति / नियुक्ति के नवीकरण के समय उचित जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए।
c) आवास वित्त कंपनियों के बोर्डों को घोषणाओं की जांच करने के लिए नामांकन समितियों का गठन करना चाहिए।
d) जहां भी आवश्यक माना जाए, हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई सूचना के आधार पर नामांकन समितियों को निदेशकों की स्वीकार्यता अथवा अन्य बातों पर निर्णय लेना चाहिए।
e) आवास वित्त कंपनियों को प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निदेशकों से साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है एवं जहां कोई बदलाव हुआ है तो उनके द्वारा तत्काल अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया गया है।
f) आवास वित्त कंपनियों के बोर्ड को लोक हित में यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि नामित /निर्वाचित निदेशकों ने अनुलग्नक-3 में दिये गये प्रारूप में प्रसंविदा विलेखों का निष्पादन किया है।

*****

अनुलग्नक-2

एचएफसी का नाम : _____

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र) _____ को यथा समुचित अनुलग्नकों के साथ(

I. निदेशक का व्यक्तिगत विवरण

क) पूरा नाम

ख) जन्म तिथि

ग) शैक्षणिक योग्यता

घ) प्रासंगिक पृष्ठभूमि एवं अनुभव

ङ) स्थायी पता

च) वर्तमान पता

छ) ई-मेल पता / दूरभाष संख्या

ज) निदेशक पहचान संख्या

झ) आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खातासंख्या एवं आयकर सर्कल का नाम व पता

ञ) प्रासंगिक ज्ञान व अनुभव

ट) एचएफसी के निदेशक पद से प्रासंगिक कोई अन्य सूचना

II. निदेशक का सुसंगत संबंध

क) संबंधियों की सूची, यदि कोई हो, जो एचएफसी से जुड़े हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1क एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों का संदर्भ लें)

ख) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वह हितबद्ध के तौर पर माना गया हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) एवं धारा 300 एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों का संदर्भ लें)

ग) संस्थाओं की सूची जिसमें वह आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 के अर्थ में पर्याप्त हित धारण करने के तौर पर माना गया है

घ) आवास वित्त कंपनी का नाम जिसमें वह मंडल (अवधि का विवरण देते हुए जिसमें ऐसे कार्यालय में पद धारित था) का सदस्य है / रह चुका / चुकी है।

ङ) वर्तमान में उसके द्वारा अथवा उपरोक्त एचएफसी से II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त निधि एवं गैर निधि की सुविधाएं यदि कोई हों

च) यदि कोई ऐसे मामले हों जहां निदेशक अथवा उपरोक्त II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा चूक हुई हो या पूर्व में एचएफसी या किसी अन्य एचएफसी से ली गई ऋण सुविधा को चुकाने में चूक हुई हो।

III. पेशेवर उपलब्धियों के रिकार्ड

क) प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां

IV. निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो

क) यदि निदेशक व्यावसायिक संघ / संस्था का सदस्य है तो उसके विरूद्ध लंबित अथवा शुरू किया गया अथवा जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या चाहे उसे किसी भी समय पर किसी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो तो ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो।

ख) आर्थिक कानूनों एवं विनियमों के उल्लंघन हेतु निदेशक और / या उपरोक्त II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध किसी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू किया गया हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया हो ,ऐसे अभियोग का विवरण, यदि कोई हो।

ग) निदेशक के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में यदि कोई आपराधिक अभियोग लंबित या शुरू किया गया हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया हो उसका विवरण

घ) क्या निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों मं परिकल्पित अयोग्यता का सामना करना पड़ा है?

ङ) क्या निदेशक और अथवा उपरोक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध किसी संस्था के खिलाफ किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा किसी जांच-पड़ताल के लिए

बुलाया गया है।

च) क्या निदेशक को किसी समय पर सीमाशुल्क / आबकारी / आयकर / विदेशीमुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों / कानूनी शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां तो ब्यौरा दें।

छ) क्या निदेशक कभी भी सेबी, आईआरडीए, एमसीए, आरबीआई इत्यादि जैसे नियामकों के प्रतिकूल संज्ञान में आया है?

(हालांकि अभ्यर्थी को नियामकों द्वारा दिये गये आदेशों एवं निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिसे बाद में पलट / पूर्ण रूप से अलग रख दिया गया है, उसे उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि पलटना / अलग रखना, बाध्यता अथवा क्षेत्राधिकार का अभाव इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से है ना कि मेरिट के आधार पर। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है एवं अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है तो उक्त का भी उल्लेख किया जाय।)

V. **मद I से मद III के संबंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना एवं कोई अन्य सूचना जो उचित एवं उपयुक्त का निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक समझी जाय।**

<u>वचन</u>

मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य व पूर्ण है। मैं यह वचन देता हूं कि मैं एचएफसी को ऐसी सभी घटनाओं से जितनी जल्दी हो सके अवगत कराउंगा जो मेरे नियुक्ति के तदुपंरात घटते हैं एवं जो उपरोक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से प्रासंगिक हैं।

मैं यह भी वचन देता हूं कि एचएफसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करूंगा

स्थान: **हस्ताक्षर**

दिनांक:

VI. एचएफसी की नामांकन समिति के अध्यक्ष/ निदेशक मंडल की टिप्पणियां

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक:

अनुलग्नक-3

निदेशक से प्रसंविदा विलेख का प्रपत्र

यह प्रसंविदा विलेख एक पक्ष .....(इसके पश्चात 'आवास वित्त कंपनी' (एचएफसी) अभिहित किया जायेगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में है एवं दूसरा पक्ष के / की श्री / श्रीमती .....(इसके पश्चात 'निदेशक' किया जायेगा) के बीच दो हज़ार ..... के ..... वें दिन को निष्पादित किया गया।

अतएव

क. निदेशक एचएफसी के निदेशक मंडल (इसके पश्चात 'बोर्ड' कहा जाय) में निदेशक के तौर पर नियुक्त हुआ है एवं उसका / उसकी नियुक्ति के निबंधन के तौर पर एचएफसी के साथ प्रसंविदा विलेख संपन्न करना आवश्यक है।

ख. निदेशक यह प्रसंविदा विलेख संपन्न करने पर सहमत है जो उसकी नियुक्ति के निबंधन के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब एतद् द्वारा सहमत है एवं यह प्रसंविदा विलेख निम्नानुसार साक्षी है:

1. निदेशक स्वीकार करता है कि एचएफसी के मंडल में निदेशक के तौर पर उसकी नियुक्ति एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम एवं प्रसंविदा विलेख के उपबंध सहित लागू कानूनों व विनियमों के अधीन है।

2. निदेशक एचएफसी से प्रसंविदा करता है कि:

   (i) निदेशक, यदि वह एचएफसी एवं किसी अन्य व्यक्ति के बीच संपन्न अथवा संपन्न होने वाले संविदा अथवा व्यवस्था अथवा किसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था में कोई रूचि रखता/रखती है अथवा से संबंधित है, उक्त के बारे में अवगत होने पर अपने हित की प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, मंडल के समक्ष अथवा मंडल की बैठक जिसमें ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था संपन्न करने के प्रश्न पर विचार किया जाना है, में प्रकटीकरण करेगा/करेगी अथवा यदि निदेशक उस बैठक की तिथि को ऐसे प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था से संबद्ध अथवा में रूचि नहीं रखता है, तो उसके इस तरह संबद्ध अथवा इच्छुक बन जाने के पश्चात हुई मंडल की पहली बैठक एवं कोई अन्य संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में निदेशक के संविदा अथवा व्यवस्था में संबद्ध अथवा इच्छुक बन जाने के पश्चात मंडल की पहली बैठक में

अपेक्षित प्रकटीकरण करना होगा।

(ii) निदेशक मंडल को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी / उसके अन्य निदेशकता, उसकी / उसके कार्पोरेट निकायों की सदस्यताएं, अन्य संस्थाओं में उसकी / उसके रूचि एवं फर्म के साझेदार अथवा मालिक के रूप में उसकी / उसके रूचि का प्रकटीकरण करेगा एवं उसमें होने वाले सभी बदलावों से मंडल को अवगत कराता रहेगा।

(iii) निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 अथवा 2013 में पारिभाषित उसकी / उसके संबंधियों एवं ऐसे संबंधियों की अन्य निकायों, कार्पोरेट, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं में निदेशकता और रूचि जिससे निदेशक अभिज्ञ है तो उसकी सूची एचएफसी को प्रदान करेगा

(iv) निदेशक एचएफसी के निदेशक के तौर पर उसकी / उसके कर्त्तव्यों **का** निर्वहन करते हुए:

क) ऐसे उच्च कोटि के कौशल का उपयोग करना जो उसकी / उसके जानकारी अथवा अनुभव वाले व्यक्ति से अपेक्षित हो;

ख) अपने कर्तव्यों के निवर्हन में ऐसी सावधानी रखना जो चाहे अपने स्वयं की ओर से एवं सद्भावना से अथवा कंपनी के हित में उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग से अपेक्षित हो;

ग) एचएफसी के व्यवसाय, क्रियाकलाप एवं वित्तीय स्थितियों के बारे में स्वयं को उस सीमा तक अवगत रखेगा / रखेगी जितना उसे प्रकट किया गया हो;

घ) उचित नियमानुकूलता के साथ मंडल एवं उसकी समितियों (संक्षितप्ता के लिहाज हेतु इसके पश्चात'बोर्ड'के तौर पर संदर्भित) की बैठकों में भाग लेगा / लेगी एवं एचएफसी के निदेशक के तौर पर शुद्ध अंत:करण से अपने दायित्व को पूरा करेगा/करेगी;

ङ) एचएफसी के हित के अतिरिक्त किसी भी विचार के लिए मंडल के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा;

च) मंडल के समक्ष लाये गये आवास वित्त कंपनी को प्रभावित करने वाले मामलो जिसमे सांविधिक अनुपालन, कार्य-निष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यपालक नियुक्ति एवं आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय सामने रखेगा;

छ) मंडल के समक्ष लाये गये अथवा मंडल द्वारा उसे सौंपे गये मामलो में उसकी / उसके निर्णय, किसी भी व्यवसाय अथवा अन्य रिश्ते जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग करने में वास्तव में हस्तक्षेप कर सकते हैं से मुक्त होगा; एवं

ज) मंडल की बैठको में बिना किसी भय अथवा पक्षपात के एवं उसकी / उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर बिना किसी प्रभाव के, अपने विचार एवं मत व्यक्त करेगा/करेगी।

(v) निदेशक का:

क) सद्भाव में एवं आवास वित्त कंपनी के हित में काम करने का प्रत्ययी कर्तव्य होगा न कि संपार्श्विक प्रयोजनों के लिए:

ख) एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम के द्वारा एवं प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर, ही कार्य करने का कर्तव्य होगा; और

ग) एचएफसी के कारोबार की समुचित समझ अर्जित करने का कर्तव्य होगा।

(vi) निदेशक:

क) मंडल द्वारा उसे सौंपे गये विषयों के संबंध में उत्तरदायित्वों से विमुख नहीं हो सकेगा;

ख) एचएफसी के पूर्ण-कालिक निदेशकों एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं जहां निदेशक के पास अन्यथा पर विश्वास करने के कारण हों वह मंडल को अपनी चिंताओं का प्रकटीकरण करेगा/करेगी; एवं

ग) मंडल के सदस्य के तौर पर अपने लिए अथवा किसी और के फायदे अथवा हितलाभ के लिए विगोपित सूचना का अनुचित उपयोग नहीं करेगा एवं एचएफसी के निदेशक के तौर पर उसकी क्षमता में एचएफसी द्वारा उसे विगोपित सूचना का उपयोग केवल निदेशक के तौर पर उसके कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ करेगा/करेगी, न कि कोई अन्य प्रयोजन के लिए:

घ) इस सीमा की घोषणा करता है कि:

(i) वह किसी अनिगमित निकाय से नहीं जुड़ा/जुड़ी है जो जमाएं स्वीकार करती हैं:

(ii) वह ऐसी किसी कंपनी से नहीं जुड़ा/जुड़ी है जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआ) का आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक ने अस्वीकार किया हो;

(iii) उसके विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध सहित कोई आपराधिक मामला नहीं है।

3. एचएफसी निदेशक से प्रसंविदा करती है कि:

(i) एचएफसी निम्नलिखित के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:

क) निदेशक के कानूनी एवं अन्य कर्त्तव्यो की पहचान और सांविधिक दायित्वों के अपेक्षित अनुपालन सहित बोर्ड की प्रक्रियाएं;

ख) नियंत्रण प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं;

ग) उन मामलों जिनमें निदेशक को अपने हित के कारण उनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेना चाहिए सहित मंडल की बैठकों में वोट का अधिकार:

घ) अर्हता की अपेक्षाएं एवं संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतियां उपलब्ध कराएगी;

ङ) कार्पोरेट नीतियां एवं प्रक्रियांए;

च) अंदरूनी संव्यवहार पर प्रतिबंध;

छ) मंडल का गठन, मंडल को प्राधिकारी का प्रत्यायोजन एवं मंडल द्वारा गठित विभिन्न

समितियों का विचारार्थ विषय;

ज) वरिष्ठ कायर्पालकों की नियुक्तियां एवं उनके प्राधिकार;

झ) पारिश्रमिक नीति

ञ) मंडल की समितियों की विवेचना;एवं

ट) एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम, अधिकारों के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यपालकों इत्यादि सहित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणलियों, लागू विनियमों में किसी बदलाव की संसूचना एवं अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति जो सभी सांविधिक एवं कानूनी अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा, ।

(ii) एचएफसी निदेशक साहित मंडल को सभी जानकारी जो उनके लिए एचएफसी के निदेशक के तौर पर अपने क्रियाकलापों एवं कर्तव्यों को जारी रखने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है एवं मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ लाये गये एवं मंडल अथवा उसकी कोई समिति द्वारा निदेशक को सौंपे गये विषयों के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है, का प्रकटीकरण करेगी एवं उपलब्ध कराएगी;

(iii) एचएफसी द्वारा निदेशकों को किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन इसी तक सीमित नहीं होंगे:

क) मंडल के समक्ष लाये गये विषयों के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना;

ख) एचएफसी की रणनीति एवं व्यापार योजना एवं पूर्वनुमान;

ग) एचएफसी का संगठनात्मक ढांचा एवं प्राधिकारी का प्रत्यायोजन;

घ) प्रक्रिया साहित कार्पोरेट एवं प्रबंधन नियंत्रण एवं प्रणालियां;

ङ) आर्थिक विशेषताएं एवं विपणन माहौल;

च) सूचना एवं अद्यतन जो आवास वित्त कंपनी के उत्पादों पर समुचित है;

छ) बड़े व्ययों पर सूचना एवं अद्यतन;

ज) आवास वित्त कंपनी के प्रदर्शन पर आवधिक समीक्षा, एवं

झ) रणनीतिक पहलों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट

(iv) एचएफसी को निदेशकों एवं संबंधित कर्मियों को मंडल के विचार-विमर्शों के परिणाम की संसूचना देनी होगी एवं मंडल की बैठक के समापन के दो कारोबारी दिवसों के भीतर यथासंभव समयबद्ध तरीके से मंडल के बैठकों की कार्यवृत्त तैयार करनी होगी एवं निदेशकों को परिसंचित करनी होगी; एवं

(v) मंडल के समक्ष रखे गये विषयों में हस्तांतरित प्राधिकार के स्तरों के बारे में निदेशक को सूचित करेगी:

4. एचएफसी निदेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज एवं उसकी प्रभावशीलता पर

आवधिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

5. एचएफसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो मंडल को रिपोर्ट करने वाला वरिष्ठ कार्यपालक होगा एवं आगे की नीतियां व प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक एवं अन्य संबंधित सांविधिक व सरकारी प्राधिकारियों के निर्देश सहित लेकिन इसी तक सीमित न होकर, लागू नियमों एवं विनियमों व नीतियों तथा प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एचएफसी के निदेशक के तौर पर अपना कार्यालय हस्तांतरित नहीं करेगा, उपपट्टे पर- या भारित नहीं करेगा एवं अपने अधिकार व दायित्व किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौपेगा बशर्ते कि एचएफसी के संस्था के बर्हिनियम व अंतनिर्यम सहित लागू नियमों व विनियमों के अनुसार मंडल अथवा उसकी कोई समिति द्वारा किसी भी प्राधिकार, अधिकार का हस्तानांतरण, शक्ति, कार्य अथवा प्रत्ययोजन को प्रतिबंधित करने हेतु न समझा जाये।

7. इस बात से किसी एक पक्ष की ओर से किसी दायित्व अथवा कर्तव्य का निर्वहन, पालन, पर्यवेक्षण या अनुपालन करने में विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी न ही इसे उस समय या उसके बाद के दिनों में कार्य-निष्पादन, पर्यवेक्षण, पालन या अनुपालन करने के लिए आदर्श के तौर पर कार्य करेगा।

8. इस प्रसंविदा विलेख में कोई एवं सभी संशोधन एवं / या पूरक एवं / या परिवर्तन केवल तभी वैध व क्रियाशील होंगे यदि एचएफसी के निदेशक एवं विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में एवं हस्ताक्षरित हो।

9. इस प्रसंविदा विलेख दो प्रतियों में निष्पादित की गयी है एवं दोनो प्रतियां मूल समझी जाएंगी।

जिसकी उपस्थिति में पक्षों ने पूर्वोक्त लिखी तिथि, माह एवं वर्ष को यह करार विधिवत निष्पादित किया है।

कृते आवास वित्त कंपनी

.....द्वारा

नाम:

पदनाम:

निदेशक

नाम:

की उपस्थिति में:

1.....

2. .....

अनुलग्नक-4

50 करोड़ रूपये एवं उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एचएफसी एवं सार्वजनिक जमायें लेने वाली /धारण करने वाली एचएफसी के लिए तुलन पत्र प्रकटीकरण की सांकेतिक सूची

1. न्यूनतम प्रकटीकरण

कम से कम, इस अनुलग्नक में सूचीबद्ध मदों का सभी प्रयोज्य एचएफसी द्वारा नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) में प्रकटीकरण करना चाहिए। सूचीबद्ध प्रकटीकरण का आशय केवल पूरक है और यह यथा लागू अन्य प्रकटीकरण जरूरतों के बदले नहीं है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

एचएफसी को अपने वित्तीय विवरणों में नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) के साथ एक जगह पर प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए। सुझावात्मक सूची में लेखांकन का आधार, विदेशी विनिमय से युक्त लेन-देन, निवेश-वर्गीकरण,मूल्यांकन इत्यादि, उस पर अग्रिम राशि एवं प्रावधान, अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास, राजस्व का परिज्ञान, कर्मचारी की लाभप्रदता, कराधान के लिए प्रावधान, शुद्ध लाभ इत्यादि शामिल हैं।

3. प्रकटीकरण:

3.1. पूंजी

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) सीआरएआर (%)		
(ii) सीआरएआर – टियर-I पूंजी (%)		
(iii) सीआरएआर – टियर-II पूंजी (%)		
(iv) टियर-II पूंजी के रूप में निर्मित गौण ऋण की राशि		
(v) बेमियादी ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा निर्मित राशि		

3.2. रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत आरक्षित निधि

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरम्भ में शेष		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के		

तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
ग) कुल		
वर्ष के दौरान परिवर्धन / विनियोजन / निकासी		
जोड़:		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत अंतरित राशि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
घटाएं:		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत आरक्षित निधि से विनियोजित राशि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत उपबंध के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि की आहरित राशि		
वर्ष के अंत में शेष		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
ग) कुल		

3.3. निवेश

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
3.5.1. निवेशों का मूल्य		

(i) निवेशों का सकल मूल्य		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
3.5.2. निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का स्थलांतर		
(i) प्रारंभिक शेष		
(ii) जोड़े: वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान		
(iii) घटाये: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेख / प्रतिलेखन		
(iv) अंतिम शेष		

3.4. डेरिवेटिव्स

3.4.1. वायदा दर करार (एफआरए)/ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन		
(ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो होने वाली हानि		
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर एचएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक		
(iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का सकेंद्रण $		
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य @		
नोट: स्वैप के अभिलेखन के लिए ऋण व बाजार जोखिम पर सूचना एवं अपनाई गयी लेखांकन नीतियों सहित स्वैपों की प्रकृति एवं शर्तों का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।		
$ सकेंद्रण के उदाहरण, अत्यधिक गियर्ड वाली कंपनियों के साथ स्वैपों अथवा विशेष उद्योगों में निवेश करना हो सकते हैं।		

@ यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो एचएफसी तुलन पत्र की तिथि को स्वैप समझौतों को समाप्त करने लिए प्राप्त या भुगतान करेगी।

3.4.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (ईआआर) डेरिवेटिव्स

[₹करोड़ में]

विवरण		राशि
(i)	वर्ष के दौरान किए गये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार के विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(ii)	31 मार्च .....को बकाये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(iii)	31 मार्च .....को बकाये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(iv)	आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार का बकाया एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं विनिमय का मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	

3.4.3. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

एचएफसी डेरिवेटिव्स को किस सीमा तक उपयोग किया गया हैं के विशेष संदर्भ के साथ डेरिवेटिव्स, उससे जुड़े जोखिम एवं काम में लाये गये कारोबारी प्रयोजनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों की व्याख्या करेंगी। परिचर्चा में ये भी शामिल होंगे:

a) डेरिवेटिव्स व्यापार में जोखिम कें प्रबंधन के लिए ढांचा व संगठन,

b) जोखिम माप, जोखिम सूचना व जोखिम निगरानी प्रणालियो का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

c) जोखिम के प्रति बचाव-व्यवस्था और/या न्यूनीकरण करने की नीतियां एवं बचाव-व्यवस्था / न्यूनीकरण के निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी हेतु रणनीतियां एवं प्रक्रियाएं, एवं

d) बचाव-व्यवस्था एवं गैर-बचाव-व्यवस्था वाले लेन देन की रिकॉडिंग; आय अभिज्ञान; प्रीमियम और छूट; बकाया संविदाओं का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण; संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्यूनीकरण के लिए लेखांकन नीति।

ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण

[₹करोड़ में]

विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i) डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)		
(ii) मार्क्ड टू मार्केट स्तिथि [1]		
(क) आस्तियां (+)		
(ख) देनदारि (-)		
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर [2]		
(iv) बचाव-व्यवस्था बिना एक्सपोजर		

3.5. प्रतिभूतिकरण

3.5.1. प्रवर्तक एचएफसी के एनटीए में एचएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि एवं तुलन पत्र की तिथि को न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर) के प्रति एचएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। ये आंकड़े एसपीवी के लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित एवं प्रवर्तक एचएफसी द्वारा एसपीवी से प्राप्त सूचना पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दिए गये प्रारूप में किये जाने चाहिए।

[₹करोड़ में]

	विवरण	सं. / राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एचएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	
2.	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर के प्रति एचएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजरों की कुल राशि	

	(I)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्रेतर एक्सपोजर		
		क)		
		ख)		
	(II)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्र एक्सपोजर		
		क)		
		ख)		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि			
	(I)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्रेतर एक्सपोजर		
		क)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों का एक्सपोजर	
			i.)	
			ii.)	
		ख)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			i.)	
			ii.)	
	(II)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्र एक्सपोजर		
		क)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों का एक्सपोजर	
			i.)	
			ii.)	
		ख)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	
			i.)	
			ii.)	
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेन-देनों से संबंधित एसपीवी की सूचना यहां दें।				

3.5.2. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या		
(ii) एससी/आरसी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से रहित)		
(iii) सकल प्रतिफल		
(iv) पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल		
(v) नेट बुक वैल्यू की तुलना में सकल लाभ / हानि		

3.5.3. एचएफसी द्वारा किए गये समनुदेशित लेन-देनों का विवरण

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या		
(ii) समनुदेशित खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से रहित)		
(iii) सकल प्रतिफल		
(iv) पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल		
(v) नेट बुक वैल्यू की तुलना में सकल लाभ / हानि		

3.5.4. खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

अन्य एचएफसी से अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद करने वाली एचएफसी को अपने तुलन पत्रों के नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) में निम्नलिखित प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा:

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

[₹करोड़ में]

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या		
	(ख) सकल बकाया		
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या		
	(ख) सकल बकाया		

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बेचे गये खातों की संख्या		
2. सकल बकाया		
3. सकल प्राप्त प्रतिफल		

3.6. आस्ति देयता प्रबंधन (आस्ति देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता प्रतिमान)

[₹करोड़ में]

विवरण	30/31 दिनों तक (एक माह	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	कुल

देयताएं											
जमाएं											
बैंक से उधार											
बाजार से उधार											
विदेशी मुद्रा में देनदारी											
आस्तियां											
अग्रिम											
निवेश											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											

3.7. एक्सपोजर

3.7.1. भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

[₹करोड़ में]

श्रेणी			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर			
	(i)	आवासीय बंधक -		
		ऋण पूर्णतया आवासीय संपत्ति पर मॉर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है जो कि उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहीत है अथवा होगी अथवा जो किराये पर है; (15 लाख रूपये तक के वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाये जा सकते हैं)		
	(ii)	वाणिज्यिक भू संपदा-		
		ऋण वाणिज्यिक भू संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु प्रयोजन वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडारण की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास एवं निर्माण इत्यादि) पर मॉर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी;		
	(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश-		
		क) आवासीय		
		ख) वाणिज्यिक भू संपदा		
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर			

	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर		

3.7.2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

[₹करोड़ में]

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयां जिसकी मूल निधि कार्पोरेट कर्ज में विशेष रूप से निवेशित नहीं है, में प्रत्यक्ष निवेश;		
(ii)	वैयक्तिकों को शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों (आईपीओ /ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बंधपत्र, परिवर्तनीय बिडचेंर एवं इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयों में बेजमानती आधार पर निवेश के लिए अग्रिम		
(iii)	कोई अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया हैं;		
(iv)	शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाइयों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक कोई अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात जंहा शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयां के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति पूर्णतया अग्रिमों कवर नहीं करता है;		
(v)	स्टॉकब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉकब्रोकरों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटियां;		
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में प्रवर्तकों को नई कंपनियों की इक्विटी में अंशदान की पूर्ति करने के		

लिए कार्पोरेटों को शेयर/बंध पत्र/डिबेंचर की प्रतिभूति के प्रति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण;		
(vii) कंपनियों को अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति पूरक ऋण;		
(viii) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनो) को सभी एक्सपोजर		
पूंजी बाजारो को कुल एक्सपोजर		

3.7.3. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण

3.7.4. एचएफसी द्वारा पार किये गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

एचएफसी को एक्सपोजर के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणी के एनटीए में उपयुक्त प्रकटीकरण करना चाहिए जहां एचएफसी ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार किया है। स्वीकृत सीमा या संपूर्ण बकाया, जो भी अधिक हो, की एक्सपोजर सीमा के लिए गणना की जाएगी।

3.7.5. अप्रतिभूत अग्रिम

क) एचएफसी को उनके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं (अवसंरचना परियोजना सहित) के संबंध में संपार्श्विक के तौर पर प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को अप्रतिभूत अग्रिमों की राशि की अवधारण करने के लिए मूर्त प्रतिभूत के तौर पर गणना करने में नही लिया जाना चाहिए। अत: ऐसे अग्रिम की गणना अप्रतिभूत के तौर पर की जाएगी।

ख) एचएफसी को अग्रिमों की कुल राशि का भी प्रकटीकरण करना चाहिए जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, इत्यादि को ऐसे अमूर्त संपार्श्विक की अनुमानित मूल्य में शामिल किया गया है। यह प्रकटीकरण एनटीए में अलग शीर्ष के तहत किया जा सकता है। यह ऐसे ऋणों को अन्य पूरी तरह से अप्रतिभूत ऋणों से पृथक करेगा।

4. विविध

4.1. अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

4.2. एनएचबी एवं अन्य नियामकों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों का प्रकटीकरण

नियामकों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों के प्रकटीकरण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप

एचएफसी पर जुर्माने की उदग्रहण का विवरण पब्लिक डोमेन में रखना निवेशकों एवं निक्षेपकों के हित में होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कटु आलोचना अथवा निर्देश अथवा अन्य प्रतिकूल टिप्पणियां भी पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए। इन जुर्मानों को भी एनटीए में प्रकट किया जाना चाहिए।

4.3. संबंधित पक्ष के लेन-देन

क) संबंधित पक्षों के साथ सभी महत्वपूर्ण लेन-देनों के विवरण का वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण करना होगा।

ख) कंपनी को अपने वेबसाइट एवं वार्षिक रिपोर्ट में भी संबंधित पक्षों लेन-देनों के साथ संव्यवहार करने वाली नीति का प्रकटीकरण करना होगा।

4.4. ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा अभिहस्तांकित रेटिंग एवं वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

4.5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी के अलावा गैर- कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन का वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया जाएगा।

4.6. प्रबंधन

निदेशक रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर अथवा उसमें एक अतिरिक्त के तौर पर, प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा शामिल होनी चाहिए:

क. उद्योग संरचना एवं विकास
ख. अवसर एवं खतरे
ग. खंड-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन
घ. दृष्टिकोण
ङ. जोखिम एवं चिंताएं
च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता
छ. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर परिचर्चा
ज. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानवीय संसाधन/औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम

4.7. अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि के मदों एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एचएफसी की लाभ व हानि लेखा का प्रारूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ व हानि पर पूर्व अवधि के मदों के प्रभाव को नहीं दर्शाता, अत: जहां भी आवश्यक हों, ऐसे प्रकटीकरण एनटीए में किए जा सकते हैं।

4.8. राजस्व मान्यता

एक उद्यम को उन परिस्थितियों का भी प्रकटीकरण करना चाहिए जिसमें राजस्व मान्यता को अहम अनिश्चितताओं के लंबित हल तक स्थगित कर दिया गया है।

4.9. लेखा मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

एचएफसी आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गए सामान्य स्पष्टीकरणों से निर्देशित हो। सीएफएस प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी सहायक कंपनियों– घरेलू के साथ-साथ विदेशी भी, के वित्तीय विवरणों का समेकित करना चाहिए। सहायक कंपनियों का समेकन न करने के कारणों का सीएफएस में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। समेकन के लिए खास संस्था को शामिल किया जाये या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी। यदि, उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों का अभिमत है कि कोई संस्था जिसका समेकन किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गयी हैं तो, उन्हें इस संबंध में 'लेखा परीक्षा रिपोर्ट' में अपनी टिप्पणियों को शामिल करना चाहिए।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1. प्रावधान एवं आकस्मिकताए

वित्तीय विवरणों को आसानी से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए एवं सभी प्रावधानों व आकस्मिकताओ पर सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, एचएफसी को एनटीए में निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण करना आवश्यक है:

[₹करोड़ में]

लाभ व हानि लेखा में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाये गये 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओ' का संबंध विच्छेद	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
2. आयकर के प्रति किए गये प्रावधान		
3. एनपीए प्रति किए गये प्रावधान		
4. मानक आस्तियों के प्रावधान (टीज़र ऋण, सीआरई, सीआरई-आरएच इत्यादि जैसे विवरणों के साथ)		
5. अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताए (विवरण के साथ)		

[₹ करोड़ में]

ऋण एवं अग्रिम एवं उन पर प्रावधानों का संबंध विच्छेद	आवासीय		गैर-आवासीय	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियां				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
उप-मानक आस्तियां				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-I				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-II				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-III				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
हानिप्रद आस्तिया				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
कुल				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				

टिप्पणी:

1. कुल बकाया राशि का तात्पर्य मूलधन + प्रोद्भूत ब्याज + समायोजित किए बिना संदिग्ध आस्तियों के संबंध में अन्य प्रभार
2. संदिग्ध आस्तियों की श्रेणी निम्नानुसार होंगे:

वह अवधि जिसके लिए आस्तियां संदिग्ध के तौर पर मानी गयी हैं	**वर्ग**
एक वर्ष तक	**वर्ग-I**
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	**वर्ग-II**
तीन वर्ष से अधिक	**वर्ग-III**

5.2. निधियों से आहरण द्वारा कमी

निधियों से आहरण द्वारा कोई कमी आने के संबंध में एनटीए में समुचित प्रकटीकरण किया जाये।

5.3. सार्वजनिक जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए का संकेंद्रण

5.3.1. सार्वजनिक जमाओं का संकेंद्रण (सार्वजनिक जमा लेनेवाली / धारण करने वाली एचएफसी के लिए)

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं		
एचएफसी की कुल जमाओं की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत		

5.3.2. ऋणों एवं अग्रिमों का सकेंद्रण

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल ऋण एवं अग्रिम		
एचएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के ऋण एवं अग्रिमों का प्रतिशत		

5.3.3. सभी एक्सपोजर का संकेंद्रण (तुलनपत्रेतर एक्सपोजर सहित)

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर एचएफसी के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत		

5.3.4. एनपीए का सकेंद्रण

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दस सबसे बड़े एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर		

5.3.5. क्षेत्र-वार एनपीए

[₹करोड़ में]

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत
क.	**आवासीय ऋण:**	
1.	वैयक्तिक	
2.	बिल्डर्स / परियोजना ऋण	
3.	करोपोर्टेस	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
ख.	**आवासीय ऋण:**	
1.	वैयक्तिक	
2.	बिल्डर्स / परियोजना ऋण	
3.	करोपोर्टेस	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

5.4. एनपीए संचलन

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)		
(II) एनपीए संचलन (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) वर्ष के दौरान अपचयन		
घ) अंत शेष		
(III) निवल एनपीए संचलन		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) वर्ष के दौरान अपचयन		
घ) अंत शेष		
(IV) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) अतिरिक्त प्रवधानों का बट्टे खाते डालना /		

प्रतिलेखन		
घ) अंत शेष		

5.5. विदेशी आस्तियां

[₹करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष

5.6. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित करना आवश्यक होता है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी

6. शिकायतों का प्रकटीकरण

6.1. ग्राहकों की शिकायतें

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
ग) वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या		
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		

*****